Lyceum India Journal of Social Sciences || ISSN: 3048-6513 (Online)
Volume: 2 Issue: 4 || September 2025 || DOI: 10.5281/zenodo.17222922

समकालीन भारत में लैंगिक असमानता: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

ममता मीणा[1]

सारांश : लैंगिक समानता भारतीय संविधान के मूल्यों तथा सतत विकास लक्ष्यों ;ैक्ळेद्ध की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक हैए किन्तु समकालीन भारत में लैंगिक असमानता अब भी विभिन्न रूपों में विद्यमान है। यह शोध पत्र विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से शिक्षाए स्वास्थ्यए रोजगारए राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा सामाजिक.सांस्कृतिक संरचनाओं में मौजूद लैंगिक असमानताओं का अध्ययन करता है। द्वितीयक स्रोतों जैसे जनगणना रिपोर्टए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण ;छथ्ैद्धए सतत विकास रिपोर्ट तथा नीतिगत दस्तावेज़ों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि प्रगति के बावजूद महिलाएँ आज भी निर्णय.निर्माण प्रक्रियाओंए वेतन संरचना और कार्यस्थल पर समान अवसर से वंचित हैं।

संवैधानिक स्तर पर अनुच्छेद 14 ;समानता का अधिकारद्धए अनुच्छेद 15 ;भेदभाव का निषेधद्धए अनुच्छेद 16 ;सार्वजनिक रोजगार में समान अवसरद्धए अनुच्छेद 39 ;राज्य के नीति निदेशक तत्वों में पुरुषों व महिलाओं के लिए समान अधिकारद्ध तथा अनुच्छेद 42 ;मातृत्व संरक्षणद्ध महिलाओं को महत्वपूर्ण संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। वहींए सरकार द्वारा बेटी बचाओए बेटी पढ़ाओए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनाए सुकन्या समृद्धि योजनाए महिला शक्ति केंद्र योजना तथा महिला आरक्षण विधेयक जैसी पहलें लैंगिक समानता की दिशा में उल्लेखनीय कदम हैं। इन पहलों ने शिक्षाए स्वास्थ्य एवं आर्थिक भागीदारी में सुधार लाने का प्रयास किया हैए फिर भी उनके प्रभावी क्रियान्वयन और सामाजिक मानसिकता में सकारात्मक बदलाव की आवश्यकता बनी हुई है।

अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि लैंगिक असमानता न केवल सामाजिक न्याय के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती हैए बल्कि भारत के सामाजिक. आर्थिक विकास एवं लोकतांत्रिक सुदृढ़ता को भी प्रभावित करती है। अतः संवैधानिक सुरक्षाए समावेशी नीतियाँए लैंगिक संवेदनशील प्रशासनिक ढाँचे तथा सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन ही वास्तविक लैंगिक समानता की प्राप्ति के लिए आवश्यक हैं।

बीज शब्द: लैंगिक असमानताए, समकालीन भारत, महिला, सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय, सतत विकास लक्ष्य, सार्वजनिक नीति, सरकारी पहल, संवैधानिक प्रावधान

परिचय

भारतीय समाज में लैंगिक असमानता की समस्या समाज रूपी रथ के दो चक्र के बीच असंतुलन को निर्देश करता है। आभारत के समाज में व्याप्त लिंग अनुपात आज से ही वरन प्राचीन समय से ही में पाया जाता है। सृष्टि का सृजन और विसर्जन प्रकृति का रूप हैए परंतु सृष्टि के कार्य में मनुष्य की अथवा कुंठित समाज की दखलंदाजी निरंतर होती रहने से इसने सामाजिक समस्या का रूप धारण कर लिया है व्यक्ति के विचार मान्यताएंए मूल्यए परंपराएंए कुरीतिया आदि के कारण मनुष्य की मानसिकता संकीर्ण हो रही है। धार्मिकए सामाजिक व सांस्कृतिक विचारधारा के कारण समाज की मानसिकता विकृत रूप ले रही है जिसके कारण यह पुत्रों को अधिक महत्व देते हैं हिंदू धर्म में फैले विसंगति विचारधारा के कारण समाज का मानना है कि पुत्रों के जन्म से माता.पिता को मोक्ष प्राप्त होता है। इन विकृत मानसिकता के कारण महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है यहां तक की उनसे उनकी जीने का अधिकार भी छीन लिया जाता है वर्षों पहले कन्या के जन्म लेते ही विभिन्न प्रकार से मार दिया जाता था वर्तमान में विज्ञान टेक्नोलॉजी के युग में भी इसका गलत उपयोग किया जाता है सोनोग्राफी के द्वारा भ्रूण परीक्षण करवा कर कन्या भ्रूण को जन्म लेने से पूर्व ही मार दिया जाता है। वर्तमान में समाज शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है परंतु

[1] सहायक प्राध्यापक, लोक प्रशासन विभाग, वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत - 395007

अभी भी कन्या भ्रूण हत्याए घरेलू हिंसाए दहेज प्रथाए बलात्कारए अपहरण व महिलाओं की खरीद फरोख्त जैसी समस्याये अपना पैर पसार रही है। महिलाओं का अनुपात कम होने के कारण कन्या विक्रय को बढ़ावा मिल रहा है पुरुषों के विवाह के लिए स्त्रियों को ऊंची कीमत पर खरीदा जाता है गरीबी के कारण माता.पिता भी अपनी बेटियों का सौदा कर लेते है। महिलाये ना ही अपने घर में सुरक्षित है और ना ही अपने कार्य स्थल परए महिलाओं को आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार देना दूरए उन्हें मात्र जीवन जीने का अधिकार भी नहीं दिया जाता है।

लैंगिक समानता किसी भी लोकतांत्रिक और प्रगतिशील समाज की आधारशिला है। भारतीय संविधान ने समानता का अधिकार ;अनुच्छेद 14द्धए भेदभाव का निषेध ;अनुच्छेद 15द्धए सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर ;अनुच्छेद 16द्धए पुरुषों व महिलाओं के लिए समान वेतन व अवसर ;अनुच्छेद 39द्ध तथा मातृत्व संरक्षण ;अनुच्छेद 42द्ध जैसे प्रावधानों के माध्यम से महिलाओं को विशेष सुरक्षा प्रदान की है। साथ हीए सतत विकास लक्ष्यों ;ैक्ळेद्ध में भी लैंगिक समानता को वैश्विक प्राथमिकता के रूप में मान्यता दी गई है। इसके बावजूद समकालीन भारत में लैंगिक असमानता शिक्षाए स्वास्थ्यए रोजगारए राजनीति और सामाजिक.सांस्कृतिक जीवन के विभिन्न आयामों में गहराई से विद्यमान है।

हाल के वर्षों में सरकार ने बेटी बचाओए बेटी पढ़ाओए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनाए सुकन्या समृद्धि योजनाए महिला शक्ति केंद्र योजना तथा महिला आरक्षण विधेयक जैसी पहलों के माध्यम से लैंगिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। इन नीतियों व योजनाओं से शिक्षाए स्वास्थ्य और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने की कोशिश हुई हैए किंतु इनके प्रभावी क्रियान्वयन और सामाजिक मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता बनी हुई है।

अतः इस शोध पत्र का उद्देश्य समकालीन भारत में लैंगिक असमानता की वर्तमान स्थिति का बहुआयामी विश्लेषण करना है। इसमें शैक्षणिकए सामाजिकए पारिवारिकए राजनीतिक और आर्थिक संदर्भों में महिलाओं की स्थिति का परीक्षण करते हुए यह समझने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार संवैधानिक प्रावधानए सरकारी पहलें और सामाजिक परिवर्तन मिलकर लैंगिक समानता की वास्तविक स्थापना कर सकते हैं।

शोध के उद्देश्य

1. समकालीन भारत में लैंगिक असमानता की स्थिति का विश्लेषण करना द्द शिक्षाए स्वास्थ्यए रोजगारए राजनीति और सामाजिक.सांस्कृतिक जीवन के विभिन्न आयामों में और असमानताओं की पहचान करना।
2. लैंगिक असमानता के कारणों की पड़ताल करना द्द विशेष रूप से शैक्षणिकए सामाजिकए पारिवारिक और राजनीतिक स्तर पर मौजूद बाधाओं एवं संरचनात्मक असमानताओं को समझना।
3. संवैधानिक प्रावधानों और सरकारी पहलों का मूल्यांकन करना द्द अनुच्छेद14ए 15ए 16ए 39 और 42 आदि के द्वारा सरकार महिलाओं को आगे लाने का प्रयास कर रही है जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनाए महिला आरक्षण विधेयक आदिद्य
4. लैंगिक असमानता के सामाजिक. आर्थिक और राजनीतिक विकास पर प्रभावों का अध्ययन करना द्द यह देखना कि असमानता किस प्रकार सामाजिक न्यायए लोकतंत्र की सुदृढ़ता और सतत विकास लक्ष्यों ;ैक्ळेद्ध की प्राप्ति को प्रभावित करती है।
5. लैंगिक समानता की दिशा में ठोस उपाय सुझाना द्द नीतिगत सुधारए प्रशासनिक संवेदनशीलताए सामाजिक मानसिकता में बदलाव और महिला सशक्तिकरण के लिए आवश्यक रणनीतियाँ प्रस्तुत करना।

शोध पद्दति

यह शोध द्वितीयक स्रोतों से तैयार किया गया है जनगणना ;ब्मदेनेद्ध रिपोर्ट शोधपत्रए पुस्तकें और संबंधित नीतिगत दस्तावेज़ विभिन्न वेब साइट्स से लिया गया है ।

किसी भी समाज का आकार समझने के लिए स्त्री पुरुष अनुपात की आवश्यकता होती हैद्य किसी भी देश में स्त्री पुरुषों का संतुलित अनुपात होना चाहिए होना चाहिए। भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हैए जिसमें स्त्री पुरुषों के अनुपात में असमानता दिखाई देती है पुरुषों की तुलना में महिलाओं का अनुपात कम है। भारत में 2011 की जनगणना अनुसार प्रति हजार पुरुर्षों की तुलना में 940 महिलाएं हैं तथा गुजरात में पति हजार पुरुर्षों की तुलना में 918 महिलाएं हैं गुजरात के कुछ तहसिल में यह संख्या 700 से 750 तक पहुंच गई है। महिलाओं.पुरुषों की लैंगिक असमानता का अनुपात अनेक सामाजिक समस्याओं का जन्म देती हैए इसके कारण महिलाओं का अपहरणए शोषणए महिलाओं का क्रय.विक्रयए बलात्कार जैसी अनेक आपराधिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलेगा जिससे महिलाओं में असुरक्षाए डरए तनाव जैसी समस्या बढ़ती जा रही है।

शिक्षित महिलाए आत्मनिर्भर बनना चाहती है परंतु पारिवारिक व सामाजिक दबावो व दायित्वों के कारण अपने कदम रोक लेती है। उपरोक्त सामाजिक समस्याओं के कारण तथा इसके समाज पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों को विश्लेष्णात्मक अध्ययन करके उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। यह प्रयास सामाजिकए राजनीतिकए धार्मिक तथा प्रशासनिक स्तर पर किए जाने चाहिए तब ही समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। मनुष्य का संस्कृक्तिकरण परिवर्तन एक आंतरिक स्रोत है संस्कृक्तिकरण ने भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है सामाजिक सुधार प्रत्येक पारिवारिक संस्कारों के द्वारा ही संभव किया जा सकता हैए महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना होगा समाज में उन्हें आगे बढ़ने का मौका देना होगा। महिलाएं निम्न स्तरों के कारण आगे बढ़ नहीं पाती है ।

व्यक्तिगत स्तर पर

व्यक्तिगत रूप से महिलाओं में जागृति आएए आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकेए उन्हें निर्णय लेने की सत्ता प्राप्त होए महिलाएं अपना महत्त्व समझ कर सामाजिक विकास में अपना योगदान दे सकए अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएंए अन्याय का सामना करने का हौंसला रखे तथा गंभीरता पूर्वक दूर करने का प्रयास करें ऐसे प्रयासों के द्वारा समाज में महिलाओं की स्थिति मजबूत बनेगी।

पारिवारिक स्तर पर

पुत्र प्राथमिकताए घरेलू हिंसाए असमान घरेलू कार्यभारए मातृत्व जवाबदारियाँए पारिवारिक जिम्मेदारीए बाल विवाहए विधवा विवाह निषेध और विवाह संबंधी असमानताएं महिलाओं की स्थिति को कमजोर करती हैद्य पारिवारिक दबाव के कारण महिलओं को आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिल पाताद्य

सामाजिक स्तर पर पहल

पितृसत्तात्मक सोचए पारंपरिक मान्यताएँए दहेज प्रथा और कार्यस्थल पर भेदभाव महिलाओं की स्वतंत्रता और अवसरों को सीमित करते हैं।

गांधी जी के अनुसार ष्यदि हमें भारत का विकास करना हो तो सबसे पहले भारतीय नारी का विकास करना होगा क्योंकि महिलाओ के द्वारा परिवारए परिवार के द्वारा समाज और समाज के द्वारा राष्ट्र बनता है अतः महिलाये समाज की मुलभूत व अहम् इकाई है।ष् सामाजिक स्तर

पर महिलाओं को बराबरी का अवसर देना होगा उन्हें समाज में पूर्ण सम्मान देना होगाए उनके सम्मान की रक्षा प्रत्येक मनुष्य को करनी होगी तभी सामाजिक स्तर पर महिलाएं आगे सहजता के साथ समाज को आगे लेन में अपना योगदान दे सकेगीद्य

शैक्षणिक स्तर पर पहल

ग्रामीण और की बालिकाएँ विद्यालय शिक्षा से वंचित रह जाती हैं या उच्च शिक्षा तक नहीं पहुँच पातीं। इससे उनके रोजगार के अवसर और सामाजिक सशक्तिकरण बाधित होते हैं। शिक्षा के द्वारा महिलाएं अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकती है आत्मनिर्भर बनकर स्वयं का तथा समाज का विकास कर सकती है समाज को नहीं दिशा दे सकती है आत्मनिर्भर होने से उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा शिक्षित महिला समाज कोण् देश को सुदृढ़ आधार दे सकती है आज अनेक क्षेत्र में शिक्षा के माध्यम से अपना परचम लहरा रही है। विनेश फोगाटए कल्पना चावलाए सानिया मिर्जाए इंदिरा गांधी व द्रौपदी मुर्मू इसके उदाहरण है।

आर्थिक स्तर पर पहल

महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनानाए महिलाओं को संपत्ति में समान अधिकार दिलानाए उसके लिए उन्हें जागृत करनाए कुटीर उद्द्योग को बढ़ावा देनाए गृह उद्योग उपलब्ध करवाना और स्वरोजगार से जुड़ी जानकारी उपलब्ध करवाना आदि अनेक प्रकार से सहायता करके उनके आत्मसम्मान की रक्षा की जानी चाहिए।

राजनीतिक स्तर पर पहल

73वें व 74वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी हैद्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14ए15 और 16 में राज्य ने महिला.पुरुष समानता अधिकारए स्त्री पुरुष लिंग भेद के सामने प्रतिबंधए रोजगार के अवसर पर समानता और समान कार्य के लिए समान वेतन इत्यादि के प्रति महिलाओं में जागरुकता को बढ़ाया जाना चाहिए। उन्हें आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किये जाने चाहिए सरकार ने बेटी बचाओए बेटी पढाओए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनाए महिला आरक्षण विधेयक आदि माध्यम से सरकार के महिलाओं की स्थिति बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है सरकार के साथ समाज व परिवारों को भी अहम् भूमिका निभानी होगीद्य महिलाओ द्वारा किये जाने वाले प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तभी समाज व देश प्रगति की ओर बढ़ सकेगा।

यद्यपि स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है परंतु व्यावहारिक स्तर पर कई बार प्रोक्सी प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है सांसद और राज्य विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी सीमित है जिस नीति निर्माण और निर्णय प्रक्रिया में उनकी जवाबदारी भागीदारी अपेक्षित स्तर पर नहीं पहुंच पाई हैद्य

स्वास्थ्य स्तर पर.

महिलाओं में कुपोषणए बाल.विवाहए परंपरागत प्रसुति प्रणालीए लिंग परीक्षणए प्रसव पूर्व व प्रसव पश्चात उचित देखभाल की कमी आदि अनेक कारणों से महिलाओं का स्वास्थ्य गिर रहा है। जहाँ गरीबी है वहाँ महिलाओं की स्थिति और भी बदतर है। महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाना प्रशासन और सरकार दोनों की जिम्मेदारी है समय.समय पर स्वास्थ्य की जाँच की जानी चाहिएए उन्हें उचित पोषण मिले इसका ध्यान रखा जाना चाहिएए महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है सरकार धरातल स्तर पर पहुंचकर अनेक योजनाओं को क्रियान्वित कर स्थिति को सुधारने का प्रयास कर रही है अकेले सरकार के प्रयासों से संभव नहीं होगा

प्रशासन और जनता को भी अथक प्रयास करने होंगे। सामाजिक स्तर पर उन्हें उनकी योग्यतानुसार कार्य करने का अवसर दिया जाना चाहिएए उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए साथ ही उन्हें उनका सम्मान दियाद्य

चुनौतीयाँ

भारत में लैंगिक समानता प्राप्ति की दिशा में कई संवैधानिक प्रावधान और सरकारी पहल मौजूद हैंए फिर भी कुछ गंभीर चुनौतियाँ बनी हुई हैं। शैक्षणिक स्तर परए ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा तक पहुँचए उच्च शिक्षा में कम नामांकन और स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति प्रमुख समस्याएँ हैं। सामाजिक एवं पारिवारिक स्तर परए पितृसत्तात्मक सोचए पुत्र.प्राथमिकताए दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा जैसी कुरीतियाँ महिलाओं की प्रगति में बाधा डालती हैं। आर्थिक स्तर परए कार्यस्थलों पर असमान वेतनए असुरक्षित कार्य.परिस्थितियाँ और महिलाओं की सीमित आर्थिक भागीदारी लैंगिक अंतर को गहरा करती हैं। राजनीतिक स्तर परए आरक्षण और नीतिगत सुधारों के बावजूद निर्णय.निर्माण संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी अभी भी सीमित है। इसके अतिरिक्तए प्रशासनिक एवं नीतिगत स्तर पर योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयनए संसाधनों की कमी और सामाजिक मानसिकता में परिवर्तन की धीमी गति बड़ी चुनौतियाँ हैं।

निष्कर्ष

समकालीन भारत में लैंगिक असमानता एक बहुआयामी चुनौती हैए जो शिक्षाए स्वास्थ्यए रोजगारए राजनीति और सामाजिक.सांस्कृतिक जीवन के लगभग हर क्षेत्र में विद्यमान है। संवैधानिक प्रावधानों और सरकारी नीतियों ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्त्वपूर्ण आधार प्रदान किया हैए किंतु शैक्षणिक असमानताए पितृसत्तात्मक मानसिकताए आर्थिक निर्भरता और निर्णय.निर्माण में सीमित भागीदारी जैसी चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि केवल नीतियाँ और कानून पर्याप्त नहीं हैंए बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयनए पारदर्शी प्रशासनिक तंत्र और सामाजिक मानसिकता में सकारात्मक परिवर्तन अनिवार्य है। यदि शिक्षाए आर्थिक अवसरए राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय के क्षेत्रों में समावेशी दृष्टिकोण अपनाया जाए तो न केवल महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ होगीए बल्कि भारत का लोकतांत्रिक एवं सामाजिक.आर्थिक विकास भी और अधिक संतुलित एवं सतत हो सकेगा।

हाल के वर्षों में सरकार ने बेटी बचाओए बेटी पढ़ाओए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनाए सुकन्या समृद्धि योजनाए महिला शक्ति केंद्र योजना तथा महिला आरक्षण विधेयक जैसी पहलों के माध्यम से लैंगिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। इन नीतियों व योजनाओं से शिक्षाए स्वास्थ्य और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने की कोशिश हुई हैए किंतु इनके प्रभावी क्रियान्वयन और सामाजिक मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता बनी हुई है।

अतः इस शोध पत्र का उद्देश्य समकालीन भारत में लैंगिक असमानता की वर्तमान स्थिति का बहुआयामी विश्लेषण करना है। इसमें शैक्षणिकए सामाजिकए पारिवारिकए राजनीतिक और आर्थिक संदर्भों में महिलाओं की स्थिति का परीक्षण करते हुए यह समझने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार संवैधानिक प्रावधानए सरकारी पहलें और सामाजिक परिवर्तन मिलकर लैंगिक समानता की वास्तविक स्थापना कर सकते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Bhatnagar, D.S. (2021). "Gender Equality and Indian Constitution: A Formative Analysis."
2. Gender Equality Through the Constitutional Lens: Evaluating the Efficacy of Legal Mechanisms in Ensuring Substantive Justice." IJLSSS (2025).
3. Gogoi, P., Hazarika, M., & Gogoi, M. (2025). "Bridging the Gap: Gender Inequality in Education and Employment in India."
4. Dhar, S. (Year not specified). "Gender Inequality in Education, Health and Employment in North-East India."
5. iPleaders Blog (2022). "Government policies for gender equality in India."
6. 11 Years of Women Empowerment (2025).
7. Bonagani, R.R. (2022). "Gender Equality and Sustainable Development."

Citation in APA 7th Edition: मीणा, ममता . (2025). समकालीन भारत में लैंगिक असमानता: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन. Lyceum india journal of social sciences, 2(4), 114–119. https://doi.org/10.5281/zenodo.17222922

Publisher's Note: *The views and opinions expressed in this article are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official policy or position of the publisher or editorial board. The publisher assumes no responsibility for any consequences arising from the use of information contained herein.*